

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

केन्द्रांश-अमृत
A&OE (OSP)
2018-19

अनौपचारिक
रूप से
परामर्शित

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक.),
झारखण्ड, राँची।

द्वारा : आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

राँची, दिनांक- 28/12/18

विषय : केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त प्रशासनिक एवं अन्य व्यय (A&OE) मद की राशि राज्य शहरी विकास अभिकरण (सुडा) को आवंटित किए जाने हेतु अमृत योजना अंतर्गत केन्द्रांश मद के लिए OSP प्रक्षेत्र में उपबंधित राशि "शहरी पुनरुत्थान मिशन-अमृत" मद से 2,10,00,000/- (दो करोड़ दस लाख) रुपए मात्र स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि केन्द्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से प्रशासनिक एवं अन्य व्यय (A&OE) मद में 3,50,00,000/- (तीन करोड़ पचास लाख) रु. मात्र प्राप्त हुआ है।

2. अमृत योजना अंतर्गत प्रशासनिक एवं अन्य व्यय (A&OE) मद के लिए OSP प्रक्षेत्र में उपबंधित राशि से इस योजना के लिए नामित नोडल एजेंसी, राज्य शहरी विकास अभिकरण (सुडा), नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को कुल राशि 2,10,00,000/- (दो करोड़ दस लाख) रुपए मात्र अनुदान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. वित्तीय वर्ष 2018-19 में "शहरी पुनरुत्थान मिशन-अमृत" योजना के OSP प्रक्षेत्र में 70,00,00,000/- रु. का बजट उपबंधित है, जिससे उक्त स्वीकृत राशि निम्नांकित बजट शीर्ष के अंतर्गत विकलनीय होगी :-

प्रक्षेत्र	बजट शीर्ष	स्वीकृत राशि (रु.)
OSP	मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास, लघु शीर्ष-191-नगर निगमों को सहायता, उप शीर्ष-76, शहरी पुनरुत्थान मिशन-अमृत, विस्तृत शीर्ष-06 अनुदान, 79 सहायता अनुदान सामान्य (शैर-वेतन), विपत्र कोड-48C221780191760679	2,10,00,000.00

4. आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक- K-16011/45/2017-AMRUT-II (Part-II), दिनांक-12.12.2018 द्वारा अमृत योजना अंतर्गत प्रशासनिक एवं अन्य व्यय (A&OE) मद में कुल 3,50,00,000/- रु. प्राप्त हुआ है, जिसमें निदेश दिया गया है कि राशि का उपयोग अनुमोदित State Annual Action Plan (SAAP) एवं अमृत दिशा-निदेश के कंडिका-4.4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

5. अमृत मिशन विवरण एवं दिशा-निदेश के कंडिका-5.1 में स्पष्ट किया गया है कि प्रशासनिक एवं अन्य व्यय मद में 100% राशि भारत सरकार द्वारा वहन की जाएगी, अतएव इस हेतु मैचिंग ग्रांट के रूप में राज्यांश राशि निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है।

6. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप निदेशक-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे, जिनके द्वारा स्वीकृत राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा राँची से करते हुए बैंक ड्राफ्ट/आर.टी.जी.एस. के माध्यम से राज्य शहरी विकास अभिकरण के संबंधित बैंक खाते में जमा किया जायेगा।

7. स्वीकृत राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची से किया जायेगा।

8. आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के Office Memorandum No. 14012/32/2015-AMRUT-I दिनांक 05.08.2016 के कंडिका-7 द्वारा अमृत मिशन विवरणी एवं दिशा-निर्देश के कंडिका-9.5 में संशोधन किया गया है, जिसके आलोक में राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा, बिरसा चौक शाखा के बैंक खाता में राशि संधारित किया जाएगा।

Jayaram

9. निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा राशि का संधारण विभागीय आदेश संख्या 178 दिनांक 24.10.2016 के आलोक में अमृत योजना अंतर्गत AMRUT A&OE FUND, SUDA के नाम बैंक ऑफ बड़ौदा, बिरसा चौक शाखा में खोले गए बैंक खाता में किया जाएगा। बैंक से संबंधित विवरणी निम्नवत् है :-

Name of Bank	IFSC Code	A/c. Title	A/c. No.
Bank of Baroda, Birsa Chowk	BARBOBIRSAC	AMRUT A&OE FUND, SUDA	56330100001614

10. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-759/वि. दिनांक 20.03.2015 की कंडिका-5 के आलोक में स्वीकृत सहायता अनुदान की राशि के विपत्र पर सक्षम प्राधिकार या उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर के पश्चात् विपत्र झारखण्ड कोषागार संहिता, 2016 के अनुरूप कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी झारखण्ड वित्तीय नियमावली नियम-340-343/कोषागार संहिता के नियम-300 एवं संगत परिपत्रों के अनुसार की जायेगी तथा वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.98 में सन्निहित प्रक्रियाओं एवं समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण को निदेशित किया जाता है कि स्वीकृत राशि का विचलन किसी भी परिस्थिति में नहीं की जायेगी। राशि व्यय होने के पश्चात् विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

13. विगत वर्ष के पूर्व वर्ष (वित्तीय वर्ष 2016-17) में राज्य शहरी विकास अभिकरण, झारखण्ड, राँची को इस मद में आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त है।

14. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना संख्या-301, दिनांक-11.03.2015 के द्वारा प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में उक्त स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

15. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को इससे संबंधित पुस्तकों/पंजियों की जाँच करने का पूर्ण अधिकार होगा।

16. योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या वित्त-19/वित्तीय नियंत्रण-3006/15-2917/वि. दिनांक-30.09.2016 के आलोक में केन्द्र प्रायोजित योजना अमृत अंतर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि कि निकासी कर बैंक खाता में संधारित करने के प्रस्ताव पर योजना-सह-वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

17. प्रस्ताव एवं स्वीकृति आदेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

18. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-759/वि. दिनांक-20.03.2015 के कंडिका-5 के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

संबंधित कोषागार पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प सं. 759/वि. दिनांक 20.03.2015 के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी सुनिश्चित की जाएगी।

विश्वासभाजन

(अग्रवाल कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

राँची, दिनांक 28/12/18

ज्ञापांक- SUDA/AMRUT/A&OE-158/2016.....163

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/संयुक्त सचिव (योजना/बजट), नगर विकास एवं आवास विभाग/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची/उप निदेशक-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण, नगर विकास एवं आवास विभाग/लेखा शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची/श्री कुणाल, विशेषज्ञ को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/श्री संदीप अग्रवाल, सहायक को ऑनलाईन आवंटन हेतु/बजट शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अग्रवाल कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।